

दूरभाष: 26175176

फैक्स: 26162093

संख्या-15/2/2017/उ.नि.(परीक्षा)/ 4753

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,  
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 11/7/2017

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,  
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष

**विषय:- नवम्बर, 2017 में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग/पारंगत/प्रबोध परीक्षाओं का कार्यक्रम/ समय सारणी का विवरण ।**

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग,पारंगत तथा प्रबोध पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ विभाग के परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष मई माह के दूसरे/तीसरे सप्ताह एवं नवंबर माह के प्रत्येक रविवार/सोमवार में आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं। नवम्बर, 2017 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

2. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा वहीं जमा कराए जा सकते हैं:-

(1) उप निदेशक (मध्योत्तर)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पूर्वी खंड-7, तल-6,  
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू  
कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा  
चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

(2) उप निदेशक (दक्षिण)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन,  
बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित  
प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

(3) उप निदेशक (पूर्व)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
18वां तल, निजाम पैलेस परिसर,  
234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,  
कोलकाता-700020

पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार  
केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए

...2/-

- (4) उप निदेशक (पश्चिम)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
केंद्रीय सदन, सी. विंग,  
छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर,  
नवी मुंबई-400614  
महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादरानगर  
हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए
- (5) उप निदेशक (पूर्वतर)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,  
मालीगांव, गुवाहाटी-॥ (असम)  
असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय,  
नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित  
कार्यालयों के लिए
- (6) प्रभारी सहायक निदेशक  
(पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
2-ए, पृथ्वीराज रोड,  
नई दिल्ली-110011  
केवल मई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए  
नवंबर में केवल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
- (7) उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,  
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)  
पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम,  
नई दिल्ली-110066  
केवल नवंबर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए  
मई में केवल पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए
3. उपर्युक्त कार्यालयों के अतिरिक्त बंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, विशाखापट्टणम, पुणे, कोचीन, पटना, कानपुर  
नगरों में स्थित हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालयों से भी आवेदन-पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और वहीं  
जमा किए जा सकते हैं।
4. सभी नियमित परीक्षार्थियों के भरे हुए परीक्षा फार्म हिंदी प्राध्यापकों द्वारा सर्वकार्य प्रभारी  
अधिकारियों/सहायक निदेशकों के माध्यम से क्षेत्रीय उप निदेशकों के कार्यालयों को निर्धारित अवधि में  
भेजे जाएंगे। उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में **परीक्षा फार्म केवल क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम  
से ही स्वीकार किए जाएंगे।** यदि कोई फार्म परीक्षा स्कंध में सीधे भेजा जाता है तो उस पर विचार  
नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय उप निदेशकों से यह अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के सभी परीक्षा फार्म  
नामिनल रोल (दो प्रतियों में) के साथ तारीख 11.09.2017 तक परीक्षा स्कंध को स्पीड पोस्ट से  
भिजवाने की व्यवस्था करें।



5. पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म प्रशिक्षार्थी अपने प्रायोजक अधिकारी के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय हिंदी निदेशालय को प्रेषित करें ताकि प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2017 तक परीक्षा स्कंध को भेजे जा सकें। पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के जो आवेदन-पत्र परीक्षा स्कंध में सीधे प्राप्त होंगे, उन्हें परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकर नहीं किया जाएगा।
6. आवेदन-पत्र अग्रेषित करने वाले अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परीक्षा फार्मों के साथ प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत तथा प्रबोध परीक्षा के नियमित, प्राइवेट और पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के नॉमिनल रोल अलग-अलग बनाकर दो प्रतियों में भेजें ।
7. केंद्रीय सरकार के कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग, पारंगत एवं प्रबोध परीक्षाओं के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है । भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों आदि के सभी कार्मिकों के लिए प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग एवं प्रबोध हेतु रू0-100/- परीक्षा शुल्क देय है। पारंगत परीक्षा के लिए कोई परीक्षा शुल्क देय नहीं है ।
8. परीक्षा शुल्क का भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाना है जो कि उप निदेशक(परीक्षा) हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम देय होगा ।
9. परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है । ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है ।

**ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स:-**

1. सबसे पहले State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) में State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर जाएँ।

या

State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

2. State Bank Collect पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं GO को क्लिक करें ।

